वित्तीय स्वीकृति

संख्या-35/2017/1415/52-3-17-बजट(12)/2017

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु□□-3, □□□□: दिनांक अगस्त, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के आयोजन/ संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1847/□0□0□0□0-52/□□□/□□□-प्रावि/ 2017-18, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) □□0□-1 □□ कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अरबी फारसी मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 □□□ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत रू0 333.33 लाख की धनराशि के सापेक्ष कुल अवशेष धनराशि रू0 466.67 □□□ (रू0 □□□ करोड़ छाछठ लाख सरसठ हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा □□□□□ □□ □हरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2018 □□ □□□□ □□ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के विगत वर्षो व चालू सत्र के पारिश्रमिक तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू शैक्षिक सत्र की परीक्षाओं के संचालन/ आयोज□ पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख -48 □□ लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-300-अन्य व्यय-09-अरबी फारसी बोर्ड-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□- 2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव

<u>संख्या-1415(1)/52-3-17-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (□-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।